सात ज़िलों के किसानों की फसलों का बीमा करेगी सरकार

चर्चा में क्यों?

11 सितंबर, 2023 को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि राज्य में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत जिन किसानों की फसलों का बीमा इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेंगी, उसका बीमा राज्य सरकार करेगी। इसके लिये जल्द ही सरकार दिशा-निर्देश जारी करेगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि क्लस्टर-दो के सात ज़िलों में बीमा कंपनी ने फसलों का बीमा करने से मना कर दिया था। जबकि किसानों की ओर से प्रीमियम राशि भरी जा चुकी है, लेकिन अब बीमा कंपनी ने हाथ खड़े कर दिये हैं।
- बीमा कंपनी को काफी घाटा हुआ है। वहीं, क्लस्टर दो के क्लेम संबंधी कई मामले न्यायालय में हैं। इस वजह से क्लस्टर दो से बीमा कंपनी ने हाथ खींच लिये थे।
- हरियाणा सरकार ने 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत तीन क्लस्टर बनाए हैं। हर क्लस्टर में अलग-अलग ज़िले शामिल हैं। क्लस्टर दो में अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम शामिल हैं।
- क्लस्टर दो का काम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को सौंपा गया था। जुलाई तक करीब दो लाख किसानों के खाते से प्रीमियम राशि काट ली गई थी। खरीफ की हर फसल का अलग-अलग प्रीमियम भरना होता है।
- इस बीच कंपनी ने फसलों का बीमा करने से मना कर दिया। विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार पर हमला बोला तो सरकार ने तत्काल किसानों का बीमा करने का फैसला किया।
- विवाद बढ़ने के बाद कृषि कल्याण विभाग ने स्टेट लेवल बैंकर कमेटी को पत्र लिखकर किसानों की प्रीमियम राशि लौटाने के आदेश जारी किये थे। इस फैसले से बैंक ने किसानों को राशि तो वापस कर दी मगर उनके फसलों की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली थी। प्रीमियम की राशि किसानों को वापस नहीं होगी, इसी प्रीमियम पर राज्य सरकार बीमा करेगी।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/government-will-insure-the-crops-of-farmers-of-seven-districts